

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) ए.सी.पी/1989- III / 1140

दिनांक:- 24.3.2019

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।

विषय :- तृतीय एसीपी प्रकरणों में आक्षेप बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में निम्न कमियाँ पाई गई हैं:-

क्र.सं	नाम कार्मिक सर्वश्री	मेरिट/ बैच सं.	आक्षेप का विवरण
1.	हनुमान प्रसाद कालावत	26/89	दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान का जन्म अतः एसीपी तीन वर्ष पश्चात् देय होगी।
2.	सूरजभान	37/89	वर्ष 2013-14 से 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त।
3.	पूरणदास बलाई	50/89	कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त। संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं। प्रथम चयनित वेतनमान एवं द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है।
4.	श्रवण कुमार	70/89	कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
5.	पुखराज रावल	73/89	प्रथम चयनित वेतनमान एवं द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है। कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
6.	चिरंजी लाल मीणा	97/89	वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2014-15 की एपीएआर अप्राप्त।
7.	सुगना राम नायक	108/89	वर्ष 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त।
8.	विष्णु कुमार मौर्य	123/89	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2014-15 एवं 2015-16 की एपीएआर अप्राप्त। प्रथम चयनित वेतनमान एवं द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है।
9.	हेमन्त कुमार सुर्यवंशी	125/89	वर्ष 2009-10, 2010-11, 2014-15 एवं 2015-16 की एपीएआर अप्राप्त।
10.	हनुमान सहाय चन्देल	175/89	वर्ष 2008-09, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त।
11.	हिमांशु	197/89	प्रथम चयनित वेतनमान 9 वर्ष की जगह 10 वर्ष में स्वीकृत की गई है। अतः द्वितीय एवं तृतीय एसीपी क्रमशः 19 एवं 28 में स्वीकृत होगी।
12.	महेन्द्र कुमार जलवानिया	207/89	कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
13.	देवीशंकर वर्मा	209/89	कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त।

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.in Fax-2740735, Tel.- 2744134

14.	भिन्जाराम उदानिया	222/89	वर्ष 2008-09, 2009-10, 2014-15 एवं 2015-16 की एपीएआर अप्राप्त। कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त। संतान संबंधी घोषणा पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर नहीं।
15.	उदयलाल बैरवा	240/89	वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 की एपीएआर अप्राप्त।
16.	सुखदेव लाल	246/89	कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
17.	संजय कुमार मीणा	255/89	वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त। कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
18.	गंगाराम	290/89	प्रथम चयनित वेतनमान 9 वर्ष की जगह 10 वर्ष में स्वीकृत की गई है। अतः द्वितीय एवं तृतीय एसीपी क्रमशः 19 एवं 28 में स्वीकृत होगी।
19.	नारायण लाल रावल	311/89	वर्ष 2012-13 से 2016-17 की एपीएआर अप्राप्त।
20.	हरिसिंह	332/89	प्रथम चयनित वेतनमान एवं द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है। एसीपी आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं।
21.	जयसिंह डामोर	344/89	प्रथम चयनित वेतनमान एवं द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है। एसीपी आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं।
22.	कन्हैया लाल बैरवा	333/89	कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।
23.	राजेन्द्र प्रसाद आलडिया	383/89	प्रथम चयनित वेतनमान एवं द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है। कार्मिक विभाग के परिपत्र के क्रम में सम्पत्ति की सूचना अप्राप्त।

बकाया एपीएआर निदेशालय में शीघ्र प्रेषित करावें एवं सम्पत्ति की सूचना कार्मिक विभाग (क-1) गोपनीय प्रकोष्ठ द्वारा जारी SSO-ID पर अपलोड करावें। एसीपी स्वीकृति हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें ताकि निदेशालय में आपके द्वारा प्रेषित तृतीय एसीपी के प्रकरणों को स्वीकृत किया जा सके।
संलग्न-निर्धारित प्रपत्र

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

क्रमांक:- एफ.2 (ग) ए.सी.पी./1989-III/1140

दिनांक:- 27.3.2019

प्रतिलिपि:- उपनिदेशक (एसीपी) निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)